जनपद में पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने हेतु दिनांक: 15.04.2017 को जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) की बैठक का कार्यवृत्त :–

कार्यालय के पत्र संख्या–52/(डी0ई0आई0ए0ए0)/2017–18 दिनांक: 13.04.2017 के क्रम में जनपद में पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) की बैठक जिलाधिकारी महोदय/(डी0ई0आई0ए0ए0) समिति अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति (डी0ई0ए0सी0) के सदस्यों द्वारा प्राप्त 27 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया इनमे से 18 प्रस्ताव जिन पर शासन द्वारा पूर्व सहमति प्रदान नही की गयी थी उन पर समिति द्वारा विचार नही किया गया। अतः शेष 09 प्रस्ताव जिन पर शासन द्वारा पूर्व सहमति प्रदान की गयी थी उन प्रस्तावों पर समिति के सदस्यों द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु समस्त बिन्दुओं पर परिचर्चा की गयी। अन्त में प्रस्तावों तथा पर्यावरण मन्त्रालय भारत सरकार एवं State Level Environment Impact Assessment Authority द्वारा दिये गये समस्त शर्तों के साथ 09 क्षेत्रों पर पर्यावरण अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

पर्यावरण अनापत्ति दिये जाने वाले 09 क्षेत्रों का विवरण

क्र0 सं0	आवेदक का नाम	उपखनिज का नाम	क्षेत्र का विवरण			
			तहसील	ग्राम	आ0सं0	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री अजय सिंह पुत्र श्री विश्वनाथ सिंह निवासी–126 लक्ष्मणपुरी कालोनी, लखनऊ।	खण्डा–बोल्डर/गिट्टी–बैलास्ट	सदर	खेलार	669	2.024
2	मे ओमसाई राम इण्डस्ट्रीज श्रीमती गीता प्रजापति पत्नी श्री जितेन्द्र प्रजापति निवासी– 511,नई बस्ती, झाँसी।	खण्डा–बोल्डर/गिट्टी–बैलास्ट	गरौठा	पहरा	464	4.99
3	मैसर्स बुन्देलखण्ड प्रजापति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रो0 श्रीमतीगीता प्रजापति पत्नी श्री जितेन्द्र प्रजापति निवासी–511,नई बस्ती, झाँसी।	खण्डा–बोल्डर/गिट्टी–बैलास्ट	गरौठा	सिवो	515	3.24
4	श्री अमित सिंह पुत्र श्री एस0के0 सिंह निवासी–1067/1 सिविल लाईन,झाँसी।	खण्डा–बोल्डर/गिट्टी–बैलास्ट	सदर	खेलार	669	2.51
5	श्री अमित सिंह पुत्र श्री एस0के0 सिंह निवासी–1057/1 सिविल लाईन,झाँसी।	खण्डा–बोल्डर/गिट्टी–बैलास्ट	सदर	खेलार	669	2.22
6	श्री जयप्रकाश घई पुत्र श्री प्यारेलाल घई निवासी–1402,सतीशनगर, झाँसी।	खण्डा–बोल्डर/गिट्टी–बैलास्ट	मौठ	मुसावली	236,237,238	4.70
7	श्रीमती ज्ञानवती देवी पत्नी श्री चन्द्रपाल नि0–466, मसीहागंज, सीपरी बाजार, तह0 व जनपद– झाँसी।	खण्डा–बोल्डर/गिट्टी–बैलास्ट	सदर	दुनारा	22	1.052
8	श्रीमती उमादेवी पत्नी श्री शिशुपाल सिंह नि0–466, मसीहागंज, सीपरी बाजार, तह0 व जनपद– झाँसी।	खण्डा–बोल्डर/गिट्टी–बैलास्ट	सदर	दुनारा	27	2.428
9	श्री सनत कुमार गुप्ता पुत्र स्व0श्री रामप्रकाश गुप्ता निवासी–पंचमपुरा, बड़ागांव,झाँसी।	खण्डा–बोल्डर/गिट्टी–बैलास्ट	सदर	गोरामछिया	688/2, 688/4	1.92

उक्त के क्रम में प्रस्तुत 09 आवेदन पत्रों पर पर्यावरणीय अनापत्ति (प्रमाण पत्र) दिये जाने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) द्वारा विचार किया गया। विचारोपरान्त प्राधिकरण द्वारा संस्तुत (संलग्नक–1) पर्यावरणीय अनापत्ति (प्रमाण पत्र) प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(चन्दन कुमार पटेल) सदस्य–सचिव/ उपजिलाधिकारी, झाँसी।	(डा0 विनीत कुमार) सदस्य/सहायक प्रोफेसर "इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेन्ट एण्ड डेवेलपमेन्ट स्टडीज" बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी।	(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला) सदस्य/प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग,झाँसी	(अजय कुमार शुक्ला) अध्यक्ष/जिलाधिकारी, झाँसी।
15/4/17	15.4.17	15/4/17	

संलग्नक–1

शर्तें :–

(1)– पर्यावरणीय अनापत्ति (प्रमाण–पत्र) उपरोक्त क्षेत्रों के लिये सशर्त निर्गत किया जाना है।

(2)– खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादन के पूर्व मा0 न्यायालयों में लंबित मामलों का संज्ञान लिया जाए तथा सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के अधीन होगा।

(3)– उपरोक्त क्षेत्र पर जिलाधिकारी झाँसी द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत/निष्पादित किये जाने पर पट्टाविलेख में उल्लिखित अवधि अथवा अनुमोदित खनन योजना में घोषित रिजर्व गिट्टी–पत्थर का उत्पादन हो जाने (दोनो में से जो पहले घोषित हो) तक के लिये पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(4)– अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा।

(5)– उपखनिज गिट्टी–पत्थर/बोल्डर का खनन उपरोक्त भूमि से समिति द्वारा प्रस्तावित खनन की मात्रा के अनुसार प्रतिवर्ष किया जायेगा।

(6)– खनन कार्य की अधिकतम गहराई अनुमोदित खनन योजना में स्वीकृत गहराई अथवा जलस्तर के पूर्व तक ही की जायेगी।

(7)– अनुमोदित खनन योजना एवं प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुति के क्रम में पर्यावरण को सुदृढ़ एवं सन्तुलित करने हेतु वृक्षारोपण कराना व उनकी देखभाल करना अनिवार्य होगा।

(8)– नेशनल पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से एक कि0मी0 की परिधि के भीतर खनन कार्य प्रतिबंधित रहेगा।

(9)– खनन कार्य खनन योजना में उल्लिखित विधि से किया जायेगा तथा ड्रिलिंग/ब्लास्टिंग एवं मशीन द्वारा खनन कार्य किये जाने के पूर्व खान सुरक्षा निदेशालय, भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य रहेगा।

(10)– खनन कार्य सार्वजनिक स्थलो से 50 मीटर की दूरी पर किया जायेगा।

(11)– उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (यथासंशोधित) की शर्तो के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा।

(12)– इस सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों का पालन करना बाध्यकारी होगा।

(13)– खनन कार्य की अधिकतम गहराई अनुमोदित खनन योजना में स्वीकृत गहराई अथवा जल स्तर के पूर्व तक ही की जायेगी।

सामान्य शर्तें :–

(1)– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार यदि उपरोक्त परियोजना की क्षमता बढ़ायी जायेगी तो पुनः उन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(2)– खनन कार्य में अनुमोदित खनन योजना का उलंघन पाये जाने की दशा में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

(3)– वन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिये गये शर्तो का अनुपालन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(4)– खनन कार्य गिट्टी उत्पादन हेतु लगाये गये संयन्त्रों/मशीनों के लिए क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय से वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण की अनापत्ति/सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(5)– वायु की गुणवत्ता (RSPM, SPM, SO_2, NOx) की रिपोर्ट प्रत्येक छः माह में डी.ई.आई.ए.ए. एवं क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(6)– पानी का छिडकाव खनन स्थल पर, हॉल रोड पर डस्ट/धूल को हवा से मिलने से रोकथाम/नियंत्रित करने के लिए उपखनिजों के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल, हॉल रोड पर पानी छिड़काव की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

(7)– खनन कार्य में लगे मजदूरों के लिए सुरक्षा उपकरण जैसे–हेल्मेट, जूता, कान का प्लग, मास्क उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त उपकरणों हेतु मजदूरों को प्रशिक्षित करना होगा।

(8)– मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण प्रत्येक छः माह पर कराया जाना अनिवार्य होगा इसके लिए यथासंभव चिकित्सा कैम्प आयोजित किया जाय। स्वस्थ्य मजदूरों/कर्मचारियों से ही खनन का कार्य लिया जाये, रोग ग्रसित कर्मचारियों से खनन का काम न लिया जाय। मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों की आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

(9)– First Aid Kit की व्यवस्था हो ताकि मजदूरों/कर्मचारियों को चोट लगने पर प्राथमिक उपचार किया जा सके एवं दुर्घटना के समय गंभीर रूप से चोटिल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुँचाने की समुचित व्यवस्था हो।

(10)– उपखनिजों का परिवहन सूर्यास्त के पश्चात नहीं किया जायेगा तथा परिवहन के साधनों का त्रिपाल या अन्य संसाधनों से ढ़का जाना अनिवार्य होगा।

(11)– खनन स्थल/उद्योग स्थल से निकले प्रदूषित पानी को एक स्थल पर एकत्र किया जायेगा तथा GSR. 422 (E) दिनांक 19.05.1993 एवं 31.12.1993 एवं यथा संशोधित निर्देशानुसार विधि से पानी को स्वच्छ किया जाना अनिवार्य होगा।

(12)– खनन कार्य खान सुरक्षा निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, उत्तरी अंचल, भारत सरकार वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी से अनुमति प्राप्त कर योग्य खान प्रबन्धक/फोरमैन/ब्लास्टर/माइन्स मेट की देखरेख में किया जायेगा।

(13)– खनन क्षेत्रों में ब्लास्टिंग से होने वाले कम्पन का अध्ययन किया जायगा एवं उसकी सूचना प्रत्येक छः माह के अन्दर क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

(14)– ब्लास्टिंग का कार्य कन्ट्रोल ब्लास्टिंग पद्धति से किया जायेगा तथा ब्लास्टिंग केवल दिन में एक बार निश्चित अवधि के अन्दर किया जायेगा एवं ब्लास्टिंग के पूर्व ध्वनि विस्तारक यंत्र से सूचना प्रसारित किया जाना अनिवार्य होगा।

(15)– बेंच हाइट, अनुमोदित खनन योजना के अनुसार हो एवं ब्लास्टिंग के समय पर्याप्त सुरक्षा अपनायी जाये एवं ब्लास्टिंग सेल्टर का उपयोग किया जाये।

(16)– खनन क्षेत्र के आस–पास हरित पट्टिका का निर्माण किया जाये एवं ज्यादा से ज्यादा पेड़–पौधे लगाये जायें।

(17)– खनन कार्य से उत्पन्न अवशिष्ट मात्रा की उचित व्यवस्था किया जाय ताकि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो एवं खनन क्षेत्रों के आसपास किसी प्रकार की गंदगी न फैलाया जाए।

(18)– खनन कार्य के आसपास में विचरण करने वाले जीव–जन्तुओं को नुकसान न हो।

(19)– वर्षा जल के संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबन्ध अवश्य किया जाय।

(20)– अनुमोदित माइनिंग क्लोजर प्लान तैयार कराकर डी.ई.आई.ए.ए. एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(21)– खनन स्थल पर खनन कार्य पूर्ण हो जाने पर उससे ओवर बर्डेन से एकत्र गिट्टी की भराई कराकर उस पर वृक्षारोपण कराना होगा।

(22)– C.S.R. की गतिविधि का प्रस्ताव जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(23)– उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त अभिलेख साईट कार्यालय में रखना अनिवार्य होगा।

(24)– यह अनापत्ति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–29229/2016 में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

(25)– शौचालय Gang Hut, हैण्डपम्प एवं पेयजल की व्यवस्था तथा खनन क्षेत्र का मुख्य मार्ग परिवहन योग्य अनिवार्य रूप से हो।

(चन्दन कुमार पटेल) सदस्य/उपजिलाधिकारी, झाँसी।	(डा0 नवनीत कुमार) सदस्य/सहायक प्रोफेसर "इन्स्टीस्टयूट ऑफ इन्वायरमेन्ट एण्ड डेवेलपमेन्ट स्टडीज" बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।	(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला) सदस्य/प्रभागीय वनाधिकारी, झाँसी वन प्रभाग, झाँसी।	(अजय कुमार शुक्ला) अध्यक्ष/जिलाधिकारी, झाँसी।